न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 176/2014

उनवान

1 श्रीमति लादी देवी पत्नि सोहन सैन, निवासी ईरास, तहसील आसीन्द ।
–वादीया

बनाम

1 राधेश्याम पिता लादूराम सैन, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
2 गोवर्धन पिता श्री लादूराम सैन, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा ।
3 सॉवर पिता लादूराम सैन, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।
4 पुखराज पिता लादूराम सैन, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।
5 श्रीमति छाउ देवी बेवा लादूराम सैन, निवासी आगुचा, तहसील हुरडा।
6 कमलादेवी बेवा मिश्री लाल सैन , निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।
7 सीमा पुत्री मिश्री लाल सैन, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।
8 मांगीलाल पुत्र स्व. रुकमा देवी सैन, निवासी मेघरास, तहसील बनेडा।
9 राधेश्याम पुत्र स्व. रुकमा देवी सैन, निवासी मेघरास, तहसील बनेडा।
10 मन्जू पुत्री स्व. रुकमा देवी सैन, निवासी मेघरास, तहसील बनेडा
11 समता पुत्री स्व. रुकमा देवी सैन, निवासी मेघरास, तहसील बनेडा ।
12 राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार एवं उप पंजीयक हुरडा।
प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री विश्वद्वीप सिंह वकील वादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 92ए 53 राजस्थान काश्त अधिनियम

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1– वादीया के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादीया एवं प्रतिवादीगण स्व. रामचन्द्र पुत्र स्व. कजोड सैन, निवासी आगुँचा के वारिसान होकर रामचन्द्र पुत्र श्री कजोड सैन की चल–अचल सम्पति को हिन्दु उताराधिकार अधिनियम के तहत माफिक हक से प्राप्त करने के अधिकार है ।

2– रामचन्द्र का स्वर्गवास लगभग आज से करीब 38 वर्ष पूर्व हो गया था उनका विरासती इन्तकाल नम्बर–159 दिनांक 10.08.1976 को ग्राम पंचायत आगुँचा में पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 19.07.1976 जिसमें मृतक रामचन्द्र सेन के दो पुत्र ही बतलाते हुये प्रतिवादी संख्या– 1 से 4 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या–5 का पति लादूराम सेन एवं प्रतिवादी संख्या 6 का पति एवं 7 का पिता श्री मिश्री लाल सैन के नाम विधि

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

विरुद्ध नामान्तकरण फैसल किया गया । इस नामान्तकरण के मुकाबले में वादीया को ना तो सूचित किया और ना ही सूना गया जिससे नामान्तकरण संख्या– 159 विधि विरुद्ध होकर वादीया के मुकाबले बेअसर है ।

3– रामचन्द्र पिता कजोड सैन के खातेदारी की आराजी जिसका खाता संख्या– 662 आराजी नम्बर– 5201, 5202, 5210, 5239, कुल किता 4 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा, स्थित थी जो वर्तमान में खाता संख्या– 844 पुराना 779 आराजी नम्बर– 5201 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा, 5202 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा, 5210 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा वाके ग्राम आगुँचा प्रथम , प्रतिवादी संख्या–1 से 7 के नाम दर्ज एवं जमाबन्दी ग्राम भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा प्रथम खाता संख्या– 182 पुराना 178 आराजी नम्बर– 5239 रकबा 14 बीघा प्रतिवादी संख्या– 1 से लगातार 7 के नाम दर्ज है ।

4 वादीया उसके स्व. पिता रामचन्द्र द्वारा छोडी गई आराजीयात जिसका विवरण कलम नम्बर– 4 में दिया गया है का सहखातेदार माफिक हक हिस्से के साथ घोषित करवाने का अधिकारिणी है ।

5 वादीया एवं प्रतिवादीगण उसके पूर्वज रामचन्द्र जी के स्वर्गवास के बाद से उक्त आराजीयात पर माफिक हिस्सा 1/4 से काबिज काश्त करती चली आ रही है ।

6 वादीया द्वारा उक्त आराजीयात पर केसीसी का ऋण प्राप्त करने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकलें प्राप्त करने पर प्रथम बार यह जानकारी हुई कि वादीया का नाम प्रतिवादीगण के साथ राजस्व रिकार्ड में सहखातेदारी दर्ज नही है जिससे यह वाद पत्र पेश करने की चाराजोही पेश हुई है ।

7 वादीया ने प्रतिवादीगण को राजस्व रिकार्ड वादीया के नाम 1/4 हक हिस्से की खातेदारी दर्ज कराने के लिए कई बार कहा लेकिन वे वादीया को टालम टोल करते रहे तथा दिनांक 27.03.2014 को फिर से आग्रह किया जिस पर प्रतिवादीगण नाजाज होकर वादीया की 1/4 हक हिस्से की खातेदारी को दर्ज करने से इन्कार कर दिया ।

8– वादीया के पिता की मृत्यु के बाद प्रतिवादी संख्या–1 से 4 के पिता 5 के पति लादूराम एवं 6 के पति , 7 के पिता मिश्रीलाल के साथ ही विरासत से कानूनी प्रावधानों के तहत सहखतेदार बन चूकी है तथा 1/4 हिससे पर वादीया का बतौर मालिक कब्जाकाश्त करती चली आ रही है जिससे वादीया उसके 1/4 हिस्से की खातेदारी हक की घोषणा कराने की अधिकारिणी है ।

9– प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 7 उक्त आराजीयात को बिना विभाजन कराये बेचान करने पर आमादा है और केसीसी ऋण प्राप्त करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादी संख्या–1 से लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित है । यदि प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगण अपने मनसूबे पर कामयाब हो जावेंगे और वादीया अपने हक हिस्से की आराजी से वंचित हो जावेगी और वादीया का असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापित सम्भव नही है ।

10 बिनायवाद प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम उसके हक हिस्से की 1/4 आराजी को दर्ज करने से मना करने की दिनांक 27.03.2014 से उत्पन्न होकर आज दिनांक तक जारी है ।

11 अन्त में अंकित किया कि वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के खिलाफ घोषणात्मक डिक्री इस अमर की पारित फरमाई जावें कि वाद पत्र की कलम नम्बर– 4 में वर्णित आराजीयात के वादीया का 1/4 हक हिस्से के साथ सहखातेदार घोषित किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या– 159 दिनांक 10.08.1976 को बेअसर एवं शून्य घोषित किया जावे एवं माफिक घोषणा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करने की डिक्री सादिर फरमाई जावें । बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की विभाजन की प्राथमिक व अन्तिम डिक्री सादिर फरमाई जावे कि वादीया अपने निहित एवं मुताबिक घोषणा 1/4 हक हिस्से अनुसार वादग्रस्त आराजी का विभाजन कराने का अधिकारी है । बहक वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात में बिना विभाजन के वादीया के 1/4 हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी , हस्तक्षेप, स्वयं एवं अन्य द्वारा नही करें, करावें एव ना ही उक्त आराजीयात का बैचान करे और ना ही किसी प्रकार क ऋण प्राप्त करें, इस बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सारिद फरमाई जावें एवं प्रतिवादीगण अपने मनसूबे में कामयाब हो जावे तो पुनः अपने खर्चे पर रिस्टोर की डिक्री सादिर फरमाई जावें ।

12 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 09.06.2014 को तथा प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 की और से उनके अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 10.11.2014 को जवाबदावा प्रस्तुत किया गया । प्रतिवादी संख्या– 8, 9, 10, 11 की और से सुश्री खुश्बू मिश्रा के द्वारा वकालतनामा किन्तु उनके द्वारा जवाबदावा हेतु समुचित अवसर लिये जाने के उपरान्त भी जवाबदावा पेश नहीं करने से प्रतिवादी संख्या– 8, 9, 10, 11 की जवाबदेही स्टेज दिनांक 02.08.2016 को बन्द की गई । प्रतिवादी संख्या– 12 के पैरोकारराज के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नही किया गया।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

13 प्रकरण में वाद पत्र व जवाबदावा के आधार पर दिनांक 26.02.2018 को निम्न प्रकार से तनकीयात कायम की गईः–

तनकी नं.–1	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 04, 05 में वर्णित आराजी रामचन्द्र पुत्र कजोड सेन के खातेदारी की थी ।	–वादीया
तनकी नं.–2	आया आराजी मुतदाविया वादीया की पुश्तैनी आराजी होने से माफिक 1/4 हिस्सा अनुसार हक	–वादीया

Scanned by CamScanner

	घोषणा प्राप्त करने की अधिकारी है ।	
तनकी नं.–3	आया वादपत्र की कलम नम्बर– 10 में वर्णित कारणों से वादीया प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिकी प्राप्त करने की अधिकारी है ।	–वादीया
तनकी नं.–4	आया जवाबदार वादीया रामचन्द्र पुत्र कजोड सैन की वारिस नही होने से वह रामचन्द्र की सम्पति में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त करने की अधिकारी नही है ।	–प्रतिवादी
तनकी नं.–5	अनुतोष ।	

14 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुँचा पर पेश हुई । वादीया श्रीमति लादी देवी व उनके अधिवक्ता उपस्थित हुये । प्रतिवादी राधेश्याम, गोवर्धन, सॉवर, पुखराज, मांगीलाल, राधेश्याम, मन्जू, समता, उपस्थित हुये । उभयपक्ष के द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से उभयपक्ष को सूना गया । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि आराजी मुतदाविया वादी व प्रतिवादीगण की मौरुसी आराजीयात होकर उनके पिता रामचन्द्र पिता कजोड सैन के खातेदारी कब्जेकाश्त की आराजीयात है । रामचन्द्र की मृत्यु के बाद उनकी विरासत का खाता उनके पुत्र लादूराम व मिश्रीलाल ने अपने नाम पर खुलवा लिया जबकि मृतक खातेदार की वादीया पुत्री होने से उसके नाम भी समान हक हिस्से से नामान्तकरण खुलना चाहिये था । अन्त में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीया को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित फरमाया जावें । उपस्थित प्रतिवादीगण ने भी दावा वादी स्वीकार किये जाने में कोई आपति नही होना न्यायालय के समक्ष जाहिर किया है ।

15 मैनें उभयपक्ष की बहस को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया । तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

16 **<u>तनकी नम्बर–1</u>** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया पर है । इस तनकी के समर्थन में वादीया के द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2033–2036 मौजा आगुँचा की प्रस्तुत की गई है । जिस अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 5201, 5202, 5210, 5239, किता 4 रकबा 35 बीघा 15 बिस्वा भूमि रामचन्द्र पिता कजोड जाति नाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है ।

17 **<u>तनकी नम्बर–2</u>** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया पर है । इस तनकी के समर्थन में जैसा कि तनकी नम्बर– 1 में विवेचन किया जा चूका कि वादग्रस्त आराजीयात वादीया के पिता रामचन्द्र पुत्र कजोड नाई के समय की है और वादीया श्रीमति लादी देवी मृतक खातेदार रामचन्द्र की पुत्री है । मृतक खातेदार के लादूराम व मिश्रीलाल दो पुत्र तथा लादी देवी व रुकमा देवी दो पुत्रीयॉ है । इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात में मृतक खातेदार के वारिसानों का 1/4, 1/4 हक हिस्सा निहित है । वादीया के द्वारा जो नामान्तकरण संख्या– 159 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार मृतक खातेदार

सहायक कलेक्टर (एस. डी. ओ.) गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

रामचन्द्र की विरासत का उसके दोनो पुत्र लादुराम व मिश्रीलाल के नाम ही निर्णित किया जाना प्रकट आया है । प्रतिवादीगण ने भी वादीया के नाम 1/4 हक हिस्से से घोषणा करने में कोई आपति नही होना जाहिर किये जाने से इस तनकी का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जाता है ।

18 **तनकी नम्बर–3** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादीया पर है । चुँकि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या– 1 से 7 दर्ज रिकार्ड है यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया गया तो वादीया के हक हिस्से की आराजीयात को खुर्द बुर्द कर देगें या बेचान कर देंगें जिससे वादीया अपने हक हकूक की आराजीयात से महरुम रहकर उसे भारी असहनीय क्षति का सामना करना पडेगा , ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय वादीया के पक्ष में किया जाता है।

19 **तनकी नम्बर–4** इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है । इस तनकी के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या– 6 व 7 का कथन है कि वादीया रामचन्द्र पुत्र कजोड सैन की वारिस नही है। इसलिये हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत वह हक घोषणा करवानें की अधिकारीं नही है , किन्तु अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा किसी भी स्तर की कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराई गई, जबकि प्रतिवादी संख्या– 1 से 5 जो लादूराम के वारिसान है उनके द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर वादीया का वाद स्वीकार किया गया है । ऐसी स्थिति में इस तनकी का निर्णय प्रतिवादी के विरुद्ध किया जाता है।

20 **तनकी नम्बर–5** समग्र रुप से हम पाते है कि वादग्रस्त आराजीयात मृतक खातेदार रामचन्द्र पुत्र कजोड सैन की खातेदारी की आराजीयात थी, मृतक खातेदार के दो पुत्र कमशः लादूलाल व मिश्रलाल एवं दो पुत्रीयॉ कमशः लादीदेवी व रुकमा देवी है । तथा रुकमा देवी की मृत्यु हो जाने से उसके वारिस प्रतिवादी संख्या– 8 से 11 है । जिनका मृतक खातेदार रामचन्द्र की सम्पति में समान हक हिस्सा निहित है । किन्तु प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 4 के पिता लादूराम ने तथा प्रतिवादी संख्या– 7 के पिता मिश्रीलाल ने मृतक खातेदार रामचन्द्र की पुत्रीयॉ को छिपाते हुये अपने अकेले के नाम नामान्तकरण खुलवा लिया । चुँकि आज प्रतिवादी संख्या– 1 से लगायत 5 ने न्यायालय में उपस्थित होकर वादी का वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त करने में दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

–: निर्णय :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा आगुँचा प्रथम तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 5201, 5202, 5210 किता 3 रकबा 21 बीघा 15 बिस्वा तथा मौजा भगवानपुरा पटवार हल्का आगुँचा तहसील

Scanned by CamScanner

हुरडा की आराजी नम्बर– 5239 रकबा 14 बीघा भूमि के खातेदारों के साथ वादीया को 1/4 व प्रतिवादी संख्या– 8, 9, 10, 11 को 1/4 हक हिस्से से खातेदार घोषित किया जाता है । तथा प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वह वादीया के 1/4 हक हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखलंदाजी व हस्तक्षेप करने कराने से रुके रहे । तद्नुसार डिक्री मुर्तिब हो पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट आगुँचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner